न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारी का नाम :–हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 586/2019

1 बलवीर उर्फ बलवीर सिह पुत्र हाकमराम उर्फ हाकमसिहं जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
2 जयपाल उर्फ जयपालसिह पुत्र हाकमराम उर्फ हाकमसिहं जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।

——वादीगण

बनाम

1 कृष्णलाल पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
2 भीमसिंह पुत्र शेराराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
3 पुनम पुत्री शेराराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
4 जगराज पुत्र धन्नाराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
5 भुपराम पुत्र सुलतानराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
6 विधादेवी पत्नी धनपतराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
7 दयालचन्द पुत्र धनपतराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
8 महेन्द्र पुत्र धनपतराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
9 ओमप्रकाश पुत्र धनपतराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
10 राधादेवी पुत्री धनपतराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
11 कमलादेवी पुत्री धनपतराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
12 मन्जु पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
13 सरोज पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
14 मोहनलाल पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
15 बनवारीलाल पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
16 बलराम पुत्र रतीराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
17 सहदेव पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

18 कृष्ण पुत्र चन्दुराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
19 मुन्नीदेवी बेवा श्योकरण जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
20 राजेन्द्र पुत्र श्योकरण जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
21 कैलाश पुत्री श्योकरण जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
22 कमला पुत्री श्योकरण जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
23 लालचन्द पुत्र हजारीराम जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
24 हनुमान पुत्र कृष्णलाल जाति जाट साकिन किशनपुरा उतराधा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राज.।
25 राउबरिन्द्र सिहं पुत्र शमशेरसिंह जाति जटसिख साकिन खैरूवाला तहसील सादलुशहर जिला श्रीगंगानगर राज.।
26 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार 'राजस्व' ,सादुलशहर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,53,188 आर.टी.ए.व 136 एल.आर.ए.।

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :-
1 श्री राजेन्द्र कुमार डाल अधिवक्ता (वादीगण)

निर्णय दिनांक 01.01.2020

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद अर्न्तगत धारा 88,53,188 आर.टी.ए.व 136 एल.आर.ए. के तहत इस न्यायालय में वाद पेश किया कि वादीगण आपस में सगे भाई है। वादीगण के नाम तहसील हाजा सादुलशहर के चक 16 पी.टी.पी. में संयुक्त खातों में कृषि भुमि राजस्व रिकार्ड में चक 16 पी.टी.पी. के खाता सं. 21/9 में वादी सं. 1 के नाम 1.942है. हिस्सा व वादी सं. 2 के नाम 0.854है. हिस्सा व चक 16 पी.टी.पी. के 64/57 में वादी सं. 1 के नाम 1.033है. हिस्सा व वादी सं. 2 के नाम 0.996है. हिस्सा एवं खाता 30/20 वादी सं. 1 के नाम 3.542है. हिस्सा वादी सं. 2 के नाम 1.518है. हिस्सा दर्ज है। वादीगण की अर्सा दराज से अन्य सहखातेदारो प्रति0 सं.1 ता 25 की देखा देखी एवं काश्त कि सहुलियत एवं अच्छी मंदी भुमि के हिसाब से संयुक्त खातो में खाता सं. 21/9 में मु.न. 13 के किला न. 4,5,6 में 0.126 =0.632है.व मु.न. 21 के किला न. 2 सालम, मु.न. 18 के किला न. 12,19,22 =0.759है., किला न.9 में 0.144है. हिस्सा कुल 1.788है., जिसमें वादी सं. की 1.265है. हिस्सा पर एवं वादी सं.2 की 0.523है. हिस्सा व खाता सं. 64/57 मु.न.14 के किला न. 2,9,13,14,17,18,23,24/2. 024है., मु.न. 17 के किला न. 3,4,7,8/1.012है., कुल 3.036है. जिसमें वादी सं. की 1.709है., व वादी सं. 2 की 1.327है. एवं खाता सं. 30/20 मु.न. 42 के किला न.23, मु.न. 45 किला न. 3 ता 9, 12 ता 20, 23,24,25 कुल 4.807है. हि. जिसमें वादी सं. 1 की 3.542है. व वादी सं. 2 की 1.518है. हिस्सा पर कब्जा काश्त है। जमाबन्दी सम्वत् 2071-75 तीनों खातो की प्रमाणित जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र है। वादीगण के नाम से खाता सं. 21/9 में 1.942+0.854=कुल 2.796है. हिस्सा दर्ज है, जब कि कब्जा काश्त दोनों भाईयों संयुक्त रूप सें 1.788है.हिस्सा पर है। वादीगण का शेष 1.008है.हिस्सा

Scanned by CamScanner

बचता है। उस पर कब्जा काश्त प्रतिवादी सं. 23 की है। जिसकी प्रतिवादी सं.23 वादीगण का नाम अपने हिस्से तक तर्क करवाकर खातेदारी पाने का अधिकारी है। वादीगण के नाम 16 पी.टी.पी. के खाता सं. 64/57 में 1.038+ .996 कुल 2.029है. हि. दर्ज कागजात माल है। वादीगण की उक्त खातों में नाम कब्जा काश्त 3.036है. पर है। प्रति0 सं. 23 के नाम उक्त खाता में 1.060है. हिस्सा रकबा दर्ज हैं, प्रति सं. 23 की कब्जा काश्त मौका पर 0.053है. पर ही है। इसलिए वादीगण प्रति सं. 23 का नाम 1. 007 है. की तर्क करवाकर अपने हिस्सा 3.036है. हिस्सा की संयुक्त रूप सें अपने अपने हिस्सा तक खातेदारी पाने व खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। खाता सं. 30/20 में सहखातेदार प्रति0 सं. 25 की कब्जा काश्त मु.न. 46 के किला न. 1 पर है। शेष खाता की भुमि पर कब्जा काश्त वादीगण की उनके नाम दर्ज हिस्सा अनुसार हैं। जिसकी वादीगण दर्ज हिस्सा अनुसार संयुक्त रूप से खातेदारी पाने व खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। वादीगण के स्वयं के नाम एव पिता के नाम व पिता के नाम राजस्व रिकार्ड अर्थात तीनो खातों में तकनीकी त्रुटि से नाम गलत दर्ज हैं। जिसमें वादीगण को बैंक खातो व अन्य विभागों में मुश्किलो का सामना करना पड़ता है। इसलिए वादीगण अपने नाम क्रमशः बलवीर उर्फ बलवीर सिंह, जयपाल उर्फ जयपालसिहं एवं पिता का नाम हाकमराम उर्फ हाकमसिहं करवाना चाहते हैं। वादीगण का प्रतिवादीगण के साथ खाता संयुक्त रहने से पानी की बारी रेवन्यु अदा करने को लेकर विवाद रहता है। एवं भुमि का सुधार नही हो पाता है। इसलिए वादीगण अपने हिस्सा के अनुसार खाता विभाजन करवाने के हकदार हैं। वादीगण का खाता सं. 21/9 में 1.942+0.854 कुल 2.796है. एवं खाता सं. 64/57 में 1.033+0.996 कुल 2.029है. हिस्सा दोनो खातो का कुल 4.825है. हिस्सा रकबा बनता है। वादीगण ने वाद पत्र की मद सं. 3 की उप मद (क)और(ख) में क्रमशः 1.788,3.036है. हिस्सा जिसका कुल योग 4.824है. बनता है कि मांग की है। जिस पर वादीगण का हक व अधिकार बनता है। इसी अनुसार वादीगण खातेदारी पाने व खाता विभाजन करवाने के हकदार हैं। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 ता 25 को दावा दायरी से पूर्व दिनांक 28.6.2019 को वाके मोजा 16 पी.टी.पी. में निवेदन किया कि सहमति के आधार पर खाता विभाजन व खातेदारी वादीगण के हक व हिस्सा के अनुसार करवा देवें तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इंकार कर दिया बस यही बिनाय दावा हैं। अतः वाद वादीगण पेशकर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावें कि अनुतोष की मद सं. (क)(ख)(ग)(घ) के अनुसार वादीगण का खाता अलग कायम किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन अखवार तलब किया गया। प्रतिवादी 1 ता 25 बाद तामील उपस्थिन न आने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। स्टेट जबाव पेश हुआ। वाद का कोई विरोध नही होने के कारण कोई तनकीयात कायम नही की गई।

बहस सुनी गई दौराने बहस विद्वान अधिवकता वादीगण द्वारा दावे मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने व बहस सुनने उपरान्त स्थित प्रकरण में वाद वादीगण दस्तोवेजी साक्ष्य व बहस के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है, अतः तहसील सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 16 पी.टी.पी. के खाता सं. 21/9 में मु.न. 13 के किला न. 4,5 सालम व 6 में 0.126 =0.632है.व मु.न. 21 के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

किला न. 2 सालम, मु.न. 18 के किला न. 12,19,22 =0.759है., किला न.9 में 0.144है. हिस्सा कुल 1.788है., जिसमें वादी सं. 1 को 1.265है. हिस्सा पर व वादी सं. 2 को 0.523है. व चक 16 पी.टी.पी. के खाता सं. 64/57 मु.न.14 के किला न. 2,9,13,14,17,18,23,24/2.024है., मु.न. 17 के किला न. 3,4,7,8/1.012है., कुल 3.036है. जिसमें वादी सं.1 की 1.709है., व वादी सं. 2 की 1.327है.हिस्सा एवं इसी चक के खाता सं. 30/20 मु.न. 42 के किला न. 23, मु.न. 45 किला न. 3 ता 9, 12 ता 20, 23,24,25 कुल 4.807है. हि. जिसमें वादी सं. 1 की 3.542है. व वादी सं. 2 की 1.518है. खातेदार घोषित किया जाकर खाता अलग कायम किया जावें। प्रतिवादी सं. 23 का नाम वादीगण की हद तक तर्क किया जाता है प्रतिवादी संख्या 23 की हद तक वादीगण का नाम तर्क किया जाता है एवं वादीगण की तीनों खाते में स्वयं का नाम एक समान रूप से बलवीर उर्फ बलवीरसिंह व जयपाल उर्फ जयपाल सिंह एवं पिता का नाम हाकमराम उर्फ हाकमसिहं किया जाता है।

उक्तानुसार ही वादीगण खाता अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में नाम अंकन किया जावें। निर्धारित स्टाम्प ड्युटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो।

बैंक रहन होने की स्थिति मे रहन फक होने पर अमल दरामद हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.01.28 17:17:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: